अंक 1
संख्या 6

सोमवार,
16 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव 1

भारतीय विधान-परिषद्

सोमवार, 16 दिसम्बर सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में सोमवार, 16 दिसम्बर, सन् 1946 ई. दोपहर 3 बजे माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव

***सभापतिः** जो प्रस्ताव 13 दिसम्बर को उपस्थित किया गया था उस पर हम अब आगे बहस शुरू करते हैं प्राप्त संशोधनों की संख्या लम्बी है पर मैं समझता हूं कि उनमें सभी पेश नहीं किये जायेंगे। अब मैं डॉ. जयकर से कहूंगा कि वे अपना संशोधन पेश करें।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर** (बम्बई : जनरल): सभापति महोदय और मित्रों, अपना संशोधन पेश करने से पहले मैं चन्द शब्द उस सुन्दर वक्तृता की प्रशंसा में कहना चाहता हूं जो प्रस्ताव उपस्थित करते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू ने दी है। उसकी स्पष्टता, विनयशीलता और उसका गाम्भीर्य सभी प्रभावोत्पादक थे। वक्तृता सुनते समय मेरा ध्यान अतीत के उन दिनों की ओर गया जब यहां से कुछ ही गज की दूरी पर उनके प्रसिद्ध पिता स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हम कानूनी युद्ध का संचालन करते थे। इस महती परिषद् की तुलना में वह वाग्युद्ध आज बड़ा अवास्तविक और छोटा मालूम पड़ता है। मैं सदा ही पं. मोतीलाल नेहरू को बड़ा भाग्यशाली समझता था। उनकी दोनों संतानें उनके देहावसान के बाद यशस्वी निकलीं। एक तो पं. जवाहरलाल नेहरू जो इस महती सभा के पथ-प्रदर्शक एवं प्राण हैं दूसरी उनकी गौरवशालिनी पुत्री जिन्होंने न्यूयार्क में सम्मिलित राष्ट्रसंघ की बैठक में महती विजय प्राप्त की है और जिसके स्वागत की हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पेश्तर इसके कि मैं अपना संशोधन पढ़कर सुनाऊं मैं एक गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं जो मेरे संशोधन के सम्बन्ध में पैदा हो गई है। मेरे कई प्रसिद्ध और स्नेही मित्रों ने मिलकर मुझे गम्भीरतापूर्वक यह समझाया है कि मुझे अपना

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

संशोधन नहीं पेश करना चाहिए। मैं यह संशोधन क्यों पेश करना चाहता हूं उसको लेकर जो भी गलतफहमियां पैदा हुई हैं उन्हें मैं दूर कर देना चाहता हूं। यह कहा गया है कि संशोधन से इस परिषद् में फूट पड़ जायेगी जो वर्तमान समय में बहुत बुरी बात होगी। जब आप मेरी वक्तृता सुनेंगे तो आशा है कि आप इससे सहमत होंगे कि यह संशोधन फूट पैदा करने की गरज से नहीं पेश किया जा रहा है। और न उससे इस तरह की फूट पैदा ही होगी जैसा कि हमारे मित्र समझते हैं। कुछ लोगों ने यह कहा है कि मैं जानबूझकर मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। यदि इस सभा के श्रम को सफलीभूत करने के लिए यह आवश्यक हो, तो इसमें मैं कोई क्षति नहीं देखता। एक मित्र ने तो यहां तक कह दिया है कि मैं मि. चर्चिल का समर्थन कर रहा हूं। उस विश्व-विख्यात चर्चिल का जिसकी कलई खोलने की कोशिश मैंने राउन्ड टेबुल कांफ्रेंस में अपनी जिरह से की थी। इसकी किंचित मात्र सम्भावना नहीं है कि मैं मि. चर्चिल का किसी तरह से समर्थन करूं। कुछ लोगों ने यह कहकर कि मैं जीवन भर हिंदू हितों का हामी रहा हूं पर अब मुसलमानों का समर्थन करना और उन्हें संतोष देना चाहता हूं, मेरी भावना को उत्तेजित किया है। उत्तर में मैंने कहा कि इन दोनों में मुझे कोई परस्पर विरोध नहीं दिखाई देता है। हिंदू हितों का मैं समर्थक हूं, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं दूसरे सम्प्रदाय के उन हितों पर कुठाराघात करूं जिन्हें मैं जायज समझता हूं। संशोधन उपस्थित करने में मेरा वास्तविक उद्देश्य है इस परिषद् को नाकाम होने से बचाना। मुझे इस बात का डर है कि हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं वह शीघ्र ही व्यर्थ हो जायेगा। मैं इस बात के लिए चिंतित हूं कि हमारी राह में आने वाली दो-एक कठिनाइयों की उपेक्षा से कहीं इस परिषद् का काम असफल और प्रभावशून्य न हो जाये। एक मित्र ने कहा है कि आप कांग्रेस टिकट पर चुने गए हैं। मैं इस उदारता को स्वीकार करता हूं और जब यह आमंत्रण मुझे मिला तो मैंने व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद भी उसे स्वीकार किया। पर उसकी कृतज्ञता के लिए यदि मुझे अपनी सेवायें सदा लोकप्रिय ही बनानी पड़ें तो मुझे डर है कि मेरे लिए यह सम्भव न हो सकेगा। अवश्य आपको मेरी सेवाओं पर अधिकार है पर यह लाजिमी नहीं है कि वह सदा लोकप्रिय ही हों। अवश्य मैं आपको अपना सहयोग और सेवा देने के लिए यहां आया हूं पर मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि

वे सदा आपकी इच्छानुसार ही होंगी। हो सकता है कि कभी-कभी मेरी सेवायें दुखद जान पड़ें अर्थात् अपनी त्रुटियों और राह की कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूं।

सभापति महोदय, मैं दो बातों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एक तो केवल शुद्ध कानूनी बात है और संक्षेप में उस पर अपना मत व्यक्त करके मैं इसे आप पर और वैधानिक सलाहकार पर छोड़ दूंगा। मैं सलाहकार महोदय को आज 10 वर्षों से जानता हूं। वे विधान के ज्ञाता हैं, स्वतंत्र बुद्धि के आदमी हैं और उनका व्यवहार सदा सच्चा होता है। मैं तो यह कहूंगा कि यह हमारे लिए बड़ी सुविधा की बात है कि सर बी.एन. राव सरीखे योग्य विधान-वेत्ता की हमें मदद मिल रही है और मुझे इसमें रंच-मात्र भी संदेह नहीं है कि जो बात मैं कह रहा हूं, उस पर वे पूरा ध्यान देंगे। मैं एक वैधानिक आपत्ति (प्वाइंट ऑफ आर्डर) की तरह यह बात नहीं उठा रहा हूं बल्कि राह की कानूनी कठिनाइयों को बताने के लिए यह कह रहा हूं। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि जो भी समय हमारे पास है उसमें आप इस पर अच्छी तरह गौर करेंगे और जैसा उचित समझें, फैसला देंगे। जो बात मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि विधान-परिषद् की प्रारम्भिक बैठक में इस स्थल पर विधान के बुनियादी प्रश्नों पर विचार नहीं किया जा सकता। पं. जवाहरलाल नेहरू ने भी मंजूर किया है कि यह प्रस्ताव विधान की बुनियादी बातों को स्पष्ट करने के अभिप्राय से ही रखा गया हैं प्रस्ताव बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यह आगामी विधान की बुनियादी बातों को तय करता है। अगर आप इसकी छानबीन करें तो एक बार पढ़ने से ही आपको यह मालूम हो जायेगा कि बहुत-सी बातें जिनका प्रस्ताव में उल्लेख है विधान के सिद्धांतों से सम्बन्ध रखती हैं। उदारहण के लिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक गणतंत्र की—एक संघ की—चर्चा की गई है। इसमें वर्तमान सीमाओं की तथा प्रांतीय अधिकारियों के अधिकारों की चर्चा की गई है। इसमें अवशिष्ट अधिकारों का, अल्पसंख्यकों के हकों का—बुनियादी हकों का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि सत्ता जनता से प्राप्त है। साफ है कि ये सारी बातें विधान की बुनियादी बातें हैं। मेरा कहना है कि कैबिनेट मिशन के 16 मई के वक्तव्य में इस प्रारम्भिक बैठक की जो अधिकार सीमा निर्धारित की गई है उसके मुताबिक यह बैठक कानूनन विधान सम्बन्धी सिद्धांतों की रूप-रेखा भी निश्चित नहीं कर सकती। जब हम सेक्शनों में बैठते हैं और प्रांतीय विधान बन जाते हैं तभी इसका प्रसंग आ सकता है।

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

उस समय तक हमारे दो अन्य साथी मुस्लिम लीग और देशी रियासतें भी शामिल हो जायेंगी, इसकी आशा है। फिलहाल इस प्रारम्भिक बैठक में हमारा कार्य साफ-साफ शब्दों में सीमित रखा गया है। मैं वक्तव्य के इन शब्दों को अभी पढ़कर सुना देता हूं। इसमें विधान की बुनियादी बातों को रखने की या स्वीकार करने की बात शामिल नहीं है। इसके लिए तो हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है। सभापति महोदय, निःसंदेह जैसा आपने फरमाया है और ठीक फरमाया है, यह सभा सर्वसत्ता-सम्पन्न है। पर कैबिनेट मिशन के वक्तव्य से ही इस सभा की उत्पत्ति है और उस वक्तव्य द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर ही हमारी सत्ता है। बिना पारस्परिक समझौते के हम इन सीमाओं के बाहर नहीं जा सकते और चूंकि अन्य दो दल अनुपस्थित हैं, समझौते की बात नहीं सोची जा सकती, इसलिए हम उन सीमाओं के अन्दर रहने के लिए बाध्य हैं। हां, अगर कुछ लोगों का यह ख्याल हो कि इन सीमाओं की बिलकुल उपेक्षा की जाये और कैबिनेट मिशन के वक्तव्य द्वारा निर्धारित सीमाओं की अवहेलना कर परिषद् द्वारा राजनैतिक सत्ता प्राप्त की जाये और इस तरह देश में क्रांति उत्पन्न की जाये तो यह बात इस योजना से बाहर है। और हमें इस संबंध में कुछ नहीं करना है। पर चूंकि कांग्रेस ने उक्त वक्तव्य को पूर्ण रूपेण स्वीकार किया है, यह उससे निर्धारित सीमाओं को मानने के लिए बाध्य है। यदि आप अनुमति दें तो मैं चन्द मिनटों में वक्तव्य के आवश्यक हिस्सों को पढ़ कर.....।

***श्री किरणशंकर राय** (बंगाल : जनरल): सभापति महोदय, एक नियम सम्बन्धी आपत्ति है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आया जयकर साहब नियम सम्बन्धी आपत्ति उठा रहे हैं या संशोधन पेश कर रहें हैं? यदि वे नियम सम्बन्धी आपत्ति उठा रहे हैं तो हमारा ख्याल है कि पहले उस आपत्ति का फैसला हो जाये तब वे अपना संशोधन पेश करें।

***सभापतिः** मेरी समझ में डॉ. जयकर ने कहा है कि वे नियम सम्बन्धी आपत्ति नहीं पेश कर रहे हैं बल्कि यह बतला रहे हैं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में क्या कठिनाइयां हैं। मैं समझता हूं वह इसी दिशा में चल रहे हैं; जैसा मैं समझता हूं वे विधान-सम्बन्धी आपत्ति पर नहीं बोल रहे हैं।

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया** (मद्रास : जनरल): सभापति जी, क्या वे प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का कोई प्रस्ताव पेश कर रहे हैं? मैं तो यही समझता हूं।

***सभापतिः** मैं नहीं समझता कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का वह प्रस्ताव कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि प्रस्ताव पर विचार हो। पर इस प्रस्ताव पर अभी यहां विचार करना ठीक है या नहीं, इस बात पर वे अपना मत व्यक्त कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमें वे बता रहे हैं कि प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार करने में क्या कठिनाइयां हैं।

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैयाः** सभापति महोदय, मैं ससम्मान यह बताना चाहता हूं कि वे नहीं चाहते कि हम इस विषय पर विचार करना जारी रखें। यह बात तो उनके संशोधन के शब्दों से साफ है। जनाब, मैं उनके शब्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

***श्री मोहनलाल सक्सेना** (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति जी, एक नियम सम्बन्धी आपत्ति है। धारा सभा के नियमानुसार संशोधन पेश करने वाले सदस्य को अपना भाषण प्रारम्भ करने से पहले संशोधन उपस्थित करना होता है। मैं सुझाव दूंगा कि डॉ. जयकर से कहा जाये कि भाषण प्रारम्भ करने से पहले वे अपना संशोधन उपस्थित करें।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** बहुत अच्छा, मैं संशोधन पढ़े देता हूं। मैं तो चंद मिनटों में अपनी बात कहकर आपका समय बचाना चाहता था। संशोधन यह है:

> ''यह सभा अपना दृढ़ और गम्भीर निश्चय घोषित करती है कि भारत के भावी शासन के लिए जो विधान यह बनायेगी वह एक स्वतंत्र, गणतांत्रिक सत्ता-सम्पन्न राज्य का विधान होगा। परन्तु ऐसा विधान बनाने में मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का सहयोग पाने तथा इस तरह अपने निश्चय को और उग्र बनाने के उद्देश्य से सभा इस प्रश्न पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखती है, ताकि उपरोक्त दोनों संगठनों के प्रतिनिधि, यदि चाहें, इस सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें।''

संक्षेप में मेरे संशोधन का यह अभिप्राय है कि इस प्रस्ताव पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखा जाये–उस वक्त के लिए स्थगित रखा जाये जब संघ विधान बने जिस समय आशा की जाती है कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतें दोनों ही मौजूद होंगी। मैं इस बात को नियम सम्बन्धी आपत्ति बोल कर नहीं उठा रहा हूं। बल्कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के पूर्व हमें जिस कठिनाई को दूर करना है, उसे मद्देनजर रख कर मैं यह बात उठा रहा हूं और इस प्रश्न पर आगे विचार

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

स्थगित रखने के लिए यह एक तर्क है। इस प्रारम्भिक बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर करने में परिषद् के मार्ग में जो कानूनी कठिनाइयां हैं उन्हें मैं बता रहा हूं। इसलिए जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रारम्भिक बैठक में काम को अंजाम देने का हमारा अधिकार सीमित है। साफ-साफ शब्दों में हमारे अधिकारों को सीमित रखा गया है। और जब हमने इन सीमाओं को—इन पाबन्दियों को मंजूर कर लिया है तो उस सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह इस समय विधान सम्बन्धी कोई सिद्धान्त यहां पास करे। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मंत्रिमंडल के वक्तव्य के चंद पैरों की ओर आकृष्ट करूंगा। मैं धारा 19 को प्रारम्भ में लेता हूं। उपधारा (1) उन तरीकों का जिक्र करती है जिनके मुताबिक भिन्न-भिन्न संगठनों के प्रतिनिधि चुने जायेंगे। उसके बाद सेक्शन ए, बी और सी का जिक्र आता है। और उसके बाद चीफ कमिश्नर वाले प्रान्तों के सम्बन्ध में एक नोट है। मैं इसे छोड़ देता हूं। फिर उपधारा (2) आती है जिसमें रियासतों की बाबत कहा गया है। और फिर उपधारा (3) है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह चुने हुए प्रतिनिधि—यानी हिन्दू, मुसलमान और देशी रियासतों की निगोशिएटिंग कमेटी—निगोशिएटिंग कमेटी का प्रसंग मैं अभी यहीं छोड़ देता हूं—यथाशीघ्र नई दिल्ली में समवेत होंगे—हम लोग अब समवेत हो चुके हैं। इसके बाद प्रारम्भिक बैठक की बात कही गई है। और इसी प्रारम्भिक बैठक में हम आज शामिल हैं। इस बात में तो कोई विवाद ही नहीं उठ सकता कि यह प्रारम्भिक बैठक है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान 20 नवम्बर के आमंत्रण पत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसे वायसराय ने इस बैठक में शामिल होने के लिए आपके पास भेजा था। उसमें इसे पहली बैठक कहा गया है। इसलिए यही प्रारम्भिक बैठक है, जिसका उल्लेख उपधारा (4) में किया गया है। अब आइये, हम यह देखें यह प्रारम्भिक बैठक क्या करने का हक रखती है:

''एक प्रारम्भिक बैठक होगी जिसमें (1) कार्यक्रम की सूची निश्चित की जायेगी। (2) सभापति तथा अन्य पदाधिकारी चुने जायेंगे। (3) नागरिकों के, अल्प-संख्यकों के, कबीले वालों तथा पृथक् क्षेत्रों (Excluded areas) के बाशिन्दों के अधिकारों पर विचार करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी मुकर्रर की जायेगी। (नीचे पैराग्राफ 20 देखिए।) मैं समझता हूं शीघ्र ही ऐसा किया जायेगा। इसको

छोड़ कर विधान के सिद्धांतों को या उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में यहां एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

***श्री के. सन्तानम** (मद्रास : जनरल): सभापति महोदय, एक वैधानिक आपत्ति है। यदि माननीय सदस्य का तर्क सही है तो उनके संशोधन का प्रथम वाक्य भी इस सभा के अधिकार के बाहर है, जिस तरह पं. जवाहरलाल नेहरू का मूल प्रस्ताव।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** दूर से सुनने में कठिनाई होती है इसलिए यह अधिक सुविधाजनक होगा अगर मेरा भाषण समाप्त हो जाने पर सदस्य मंच पर आकर अपनी आपत्तियां प्रकट करें। उस समय उनकी बात सुनना ज्यादा आसान होगा और इस बीच में कुछ होगा नहीं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बजाय इसके कि सदस्य अभी मेरे भाषण में हस्तक्षेप करें, यह ज्यादा अच्छा होगा कि मेरी वक्तृता पर उन्हें जो भी आपत्ति हो उसे मेरा भाषण समाप्त होने पर यहां मंच पर आकर व्यक्त करें। और मैं, यदि मुझे मौका दिया गया तो उनका जवाब दूंगा। मेरा कथन यह है, चाहे वह गलत हो या सही कि प्रारम्भिक बैठक के अधिकार इन्हीं बातों तक सीमित है।

***सभापतिः** शान्ति, शान्ति (आर्डर आर्डर)। श्री सन्तानम आपकी क्या आपत्ति है?

***श्री के. सन्तानमः** मेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि यदि माननीय सदस्य का तर्क सही है तो उनके संशोधन का प्रथम वाक्य इस सभा के अधिकार के बाहर है।

***सभापतिः** डॉ. जयकर की ओर मुड़ कर—श्री सन्तानम का कहना है कि आपके संशोधन का पहला वाक्य आपके ही तर्क के अनुसार नियम से बाहर है।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** यदि आपकी यह राय है तो वह हटा दिया जा सकता है। मैं इसके लिए राजी हूं, इस विचार के खिलाफ बहस करने में मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता। यदि जरूरत हो तो मैं इस हिस्से को हटा देने के लिए और बाकी को रखने के लिए तैयार हूं। मेरे मतलब के लिए इतना काफी है।

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैयाः** इसलिए मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि यह तो प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने की एक तजबीज है।

***सभापतिः** वस्तुतः इससे एक कठिनाई पैदा हो जाती है कि मंत्रि प्रतिनिधि

[सभापति]

मंडल के वक्तव्य के अनुसार आपके संशोधन का पहला हिस्सा इसे एक संशोधन बताता है..... यदि आपका तर्क सही है और यह हटा दिया जाता है तो नतीजा यह होता है कि आपका संशोधन सभा स्थगित करने का एक प्रस्ताव बन जाता है।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** अगर एक क्षण के लिए यही मान लिया जाये कि आप इसे स्थगित रखने का प्रस्ताव मानते हैं तो क्या मैं इसे फिलहाल पेश नहीं कर सकता? यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर औचित्य या श्रेष्ठता के ख्याल से और अन्य संशोधनों से पहले विचार करना चाहिए। इसलिए माना कि आप इसे स्थगित रखने का प्रस्ताव मानते हैं फिर भी इस पर अभी विचार करने के लिए मैं जोर दे सकता हूं।

***सभापतिः** इस मामले में मैं सभा के सदस्यों की सहायता चाहता हूं। कठिनाई यह है कि यदि कानूनी दृष्टि से डॉ. जयकर का तर्क सही है तो पं. जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव नियम के बाहर है। यह प्रश्न उसी समय उठाना चाहिए था, जब प्रस्ताव पेश हुआ था परंतु इस समय मैं नहीं समझता कि यह आपत्ति उठाई जा सकती है। इसलिए हम लोग प्रस्ताव और संशोधन दोनों को ही नियमानुकूल मानते हैं और उस पर विचार जारी रखते हैं।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** तब क्या कानूनी प्रश्न बोल कर मैं इस पर जोर दे सकता हूं?

***सभापतिः** मैं समझता हूं कि यह कानूनी सवाल उठेगा ही नहीं। गुण के आधार पर आप इसे पेश करें।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** सभापतिजी, मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि इस समय विधान की बुनियादी बातों पर न तो विचार किया जा सकता है और न उन्हें मंजूर किया जा सकता है। मैं चंद और धारायें पढ़कर सुना देता हूं। वाक्यांश (5) कहता है:

> ''ये सेक्शन अपने अन्तर्गत प्रान्तों के लिए प्रान्तीय विधान बनाने का काम शुरू करेंगे।''

मैं समझता हूं कि ये सेक्शन आगामी मार्च या अप्रैल में बैठेंगे। मैं और अप्रासंगिक भागों को नहीं पढ़ता हूं। इसके बाद वाक्यांश (6) आता है। जिसमें यह बताया गया है कि विधान-सम्बन्धी प्रश्नों को क्या तय किया जा सकता है।

> ''सेक्शनों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि संघ-विधान बनाने के लिए पुनः एकत्र होंगे।''

उस समय विधान की बुनियादी बातों को तय किया जा सकता है क्योंकि उस समय रियासतें, मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस सभी मौजूद रहेंगे। यह इसलिए कि योजना के अनुसार यह आवश्यक है कि उक्त तीनों संगठनों को विधान-सम्बन्धी प्रश्नों पर अपना मत व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। वह समय अभी नहीं आया है। इसलिए मेरी अर्ज यह है कि इस प्रश्न पर न तो इस समय विचार ही किया जा सकता है और न अन्तिम फैसला किया जा सकता है। मैंने तो आपको इस कठिनाई से बचने का रास्ता सुझाया है और अगर आप पसंद करें तो इसे मंजूर कर सकते हैं।

***श्री एन.वी. गाडगिल** (बम्बई : जनरल): धारा 4 में कोई रुकावट या मनाही नहीं है।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर:** यहां यह बात स्वयं सूचित है। आप वाक्यांश (4) और (6) को पढ़िए। उसका साफ-साफ मतलब यह है कि प्रारम्भिक बैठक में केवल चन्द बातों पर ही विचार किया जायेगा और विधान तय करने की बात तब आयेगी, जब हम धारा 6 पर आते हैं। अन्यथा वाक्यांश 6 बिलकुल अनावश्यक और पूर्व के वाक्यांशों से प्रतिकूल है। इसलिए इन दोनों वाक्यांशों को मिलाकर पढ़ने से यह साफ जाहिर होता है कि वाक्यांश 4 में साफ-साफ शब्दों में बताया गया है कि इस वक्त क्या किया जा सकता है। संघ-विधान-सम्बन्धी सारी बातें चाहे विस्तृत रूप से उन पर विचार कर उन्हें तय किया जाये या बुनियादी बातों की महज एक रूपरेखा तैयार की जाये, तभी तय की जा सकती है, जब वाक्यांश 6 का समय आवे।

अब मैं वाक्यांश 7 पर आता हूं। जिसमें इस प्रश्न पर और प्रकाश डाला गया है। उसमें यह व्यवस्था है कि अगर कोई बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न उठे तो इस वाक्यांश में बताई हुई व्यवस्था के अनुसार उस पर विचार किया जायेगा। यहां कोई दल नहीं है जो बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न उठायेगा। इसलिए अगर आप वाक्यांश 7 को पुनः पढ़ें तो मालूम होगा कि वह बात उसमें साफतौर पर दी गई है जो मैंने बताई है, कानूनी पहलू पर मेरा यही कहना है।

कानूनी प्रश्न के अतिरिक्त कतिपय और व्यावहारिक आवश्यकता की बातों पर भी मैं जोर दूंगा कि भला क्यों हमें यह प्रश्न बाद में विचार करने के लिए अभी स्थगित रखना चाहिए। इस कठिनाई से निकलने के लिए मैं यह सुझाव पेश कर रहा हूं कि चूंकि इस प्रस्ताव पर अब तक काफी वाद-विवाद हो चुका और

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

जनमत जानने का भी मौका मिल चुका। यह सभा इस पर अभी वोट न लेकर बाद में इस पर विचार करे जब वाक्यांश 6 में उल्लिखित समय आये ताकि उस पर पुनः विचार करते समय दोनों दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहें और कार्यवाही में हिस्सा ले सकें। कठिनाइयों से निकलने का मैं यह रास्ता बता रहा हूं।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): सभापति जी, एक वैधानिक आपत्ति की बात कहता हूं, डॉ. जयकर का संशोधन कहता है:

''यह सभा इस प्रश्न पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखती है ताकि उपरोक्त दोनों संगठनों के—देशी रियासतें और मुस्लिम लीग के—प्रतिनिधि यदि चाहे इस सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें।'' उन्होंने पैरा 19 के वाक्यांश (2) का उदाहरण दिया है। यह वाक्यांश कहता है–''अभिप्राय यह है कि रियासतों को अंतिम विधान-परिषद् में उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा.....।''

वह मौका अभी नहीं आया है इसलिए यह आपत्ति कि देशी रियासतों का यहां प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो पाया है, आधारहीन है। पुनः यदि आप आगे.....।

***सभापतिः** यह तो वैधानिक आपत्ति नहीं है बल्कि जो कुछ कहा गया है, उसके विरुद्ध यह केवल एक तर्क है।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** अब मैं अपनी बात कह सकता हूं, सभापति जी?

***सभापतिः** हां।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** जिस बात पर मैं जोर दे रहा हूं वह यह है। यह विधान-परिषद् अपनी आज की सूरत में मुकम्मिल नहीं है। दो संगठन यहां अनुपस्थिति हैं। देशी रियासतें अनुपस्थित हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। क्योंकि वे इस समय यहां शरीक हो नहीं सकती। यह है असली स्थिति। रियासतों ने अपनी निगोशिएटिंग कमेटी बना ली है पर हमने अपनी यह कमेटी अभी तक नहीं बनाई है। जब हम उसे बना लेंगे तो दोनों कमेटियां बैठेंगी। योजना के अनुसार उस समय रियासतें शरीक होंगी। पर जहां तक मुस्लिम लीग की बात है यह स्थिति नहीं है। उन दोनों में जबर्दस्त अन्तर है। मुस्लिम लीग को अभी हाल में तीन-चार जरूरी रियायतें मिली हैं। ये रियायतें उन्होंने अपने श्रेष्ठतर कौशल से

पायी हैं या और किसी तरह से इस पर कुछ यहां बोलना मेरा काम नहीं है। उन्होंने तीन-चार जरूरी बातें अपने हक में मनवा ली हैं।

दो बातें ऐसी हैं जिन पर भाष्य या स्पष्टीकरण जरूरी है। एक तो वोटिंग यानी मत देने की बात और दूसरे सेक्शनों में शामिल होने की बात। मैं समझता हूं, यह प्रश्न फेडरल कोर्ट के सामने पेश किया जायेगा। फेडरल कोर्ट के एक भूतपूर्व जज तथा प्रिवी कौंसिल की न्याय सम्बन्धी बड़ी अदालत के एक वर्तमान सदस्य की हैसियत से, इस मसले को फेडरल कोर्ट में भेजने अथवा इसके औचित्य के सम्बन्ध में मैं और कुछ कहना ठीक नहीं समझता। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। मैं आपको बधाई देता हूं कि इस काम के लिए योग्यतम वैधानिक कानूनवेत्ता मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर की सेवाएं आपको प्राप्त हैं। इस प्रश्न को फेडरल कोर्ट में भेजने के सम्बन्ध में मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। पर यह बात तो साफ है कि गुटबंदी और वोटिंग के प्रश्न पर स्पष्टीकरण पाने के लिए आप फेडरल कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आखिरी बात को लेकर जिस पर लीग को रियायत मिल चुकी है आप फेडरल कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हाल के वक्तव्य में सम्राट की सरकार ने यह व्यवस्था दी है कि अगर विधान-निर्माण में जाति का एक बड़ा भाग शामिल नहीं होता है तो सरकार विधान को किसी देश के अनिच्छुक वर्ग पर जबर्दस्ती नहीं लादेगी। यह व्यवस्था मुस्लिम लीग के पक्ष में है और आप इसे फेडरल कोर्ट के सामने नहीं ले जा सकते। इसमें किसी भाष्य या टीका का प्रश्न ही नहीं उठता। 16 मई के वक्तव्य के अलावा मुस्लिम लीग को यह नई रियायत दी गई है। यह रियायत प्रधानमंत्री मिस्टर एटली के हाउस ऑफ कामन्स में दिये हुए 15 मार्च सन् 1946 के वक्तव्य के प्रतिकूल है। जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण अवश्य मिलेगा, पर बहुमत की प्रगति में वे बाधा नहीं डाल पायेंगे। मार्च सन् 1946 में यह बात कही थी ब्रिटेन के सर्वोच्च जिम्मेदार व्यक्ति ने यानी वहां के प्रधानमंत्री ने। आज यह बात खत्म हो गई। वस्तुतः इससे अब स्थिति में जबरदस्त अन्तर आ गया है।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल** (बम्बई : जनरल): सभापति महोदय, क्या माननीय सदस्य सम्राट की सरकार द्वारा निर्धारित नीति की व्याख्या कर रहे हैं? ये सारी तथाकथित रियायतें जिनका जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, ह्वाइट पेपर या योजना में नहीं हैं। ये तो लीग को ऊपर से दी जा रही हैं। हमने इन्हें नहीं

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

मंजूर किया है और यह सभा 16 मई के वक्तव्य में और किसी परिवर्तन या वृद्धि को मानने के लिए तैयार नहीं है। *(हर्षध्वनि)*

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** मैं तो केवल आपकी कठिनाइयों को बता रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मूल-योजना में कोई बढ़ाव मंजूर करें। मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि मुस्लिम लीग को क्या-क्या नई रियायतें मिली हैं, जिनसे आपके मार्ग में बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। और इसके लिए क्यों आपको तब तक इस पर विचार बंद रखना चाहिए जब तक कि लीग परिषद् में शामिल न हो जाये। इस सम्बन्ध में मेरा कथन बिलकुल प्रासंगिक है। यदि माननीय सरदार पटेल यह समझते हैं कि कांग्रेस ऐसे बढ़ाव को कभी मंजूर न करेगी तो वे लोग शौक से ऐसा कर सकते हैं।

जनाब इसका मतलब क्या है? यदि यहां विधान-निर्माण में मुस्लिम सरीखा सम्प्रदाय शामिल नहीं होता है तो उसका क्या परिणाम होगा? सर स्टेफोर्ड जिसने ''देश के अनिच्छुक भाग'' उसकी भी स्वयं व्याख्या कर दी है, उनका कहना है कि इन शब्दों का मतलब है, भारत के उस भाग से जहां मुसलमानों का बाहुल्य है। यदि मुस्लिम सम्प्रदाय की अनुपस्थिति में आप विधान बनायेंगे तो वह हिंदुस्तान के उन भागों पर जहां के लोग उसे नहीं मंजूर करते हैं, जबर्दस्ती नहीं लागू किया जायेगा। ये शब्द हैं ''देश के अनिच्छुक भाग''। मैं नहीं जानता कि इस व्यवस्था से कोई दूसरा सम्प्रदाय भी लाभान्वित हो सकता है। यह ऐसा मसला है जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो सकता है। पर इतना निश्चित है और हाउस ऑफ कामन्स के बहस-मुबाहसे में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने साफ-साफ शब्दों में यह कहा था कि ऐसा विधान, जिसके निर्माण में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं है, देश के उन भागों पर जबर्दस्ती नहीं लादा जायेगा जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। इन शब्दों का ध्यान दीजिये, ''उनका प्रतिनिधित्व नहीं है।'' अर्थात् वे अनुपस्थित हैं।

मूल-योजना में इस बढ़ाव पर इंग्लैंड में एक विशेष विचारधारा के व्यक्तियों ने हर्ष प्रकट किया है और इसका स्वागत किया है। मि. चर्चिल ने कहा है कि हमारी लम्बी यात्रा में यह एक महत्त्वपूर्ण मंजिल है। यह महत्त्वपूर्ण मंजिल है या खतरनाक मंजिल है इससे हमें कोई वास्ता नहीं। असलियत यह है कि फिलहाल मुसलमानों ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया है।

इसलिए स्थिति यह है कि यदि वे आपकी कार्रवाई में न शामिल होना ही पसंद करें, चाहे किसी कारण से, तो आपके प्रयास को वे व्यर्थ और असफल कर सकते हैं। आपकी सारी कोशिशें उन्हें मजबूर करने में असफल होंगी। उनकी अनुपस्थिति में आप चाहे जैसा भी विधान बनायें वह सेक्शन ए के समान इच्छुक भाग पर ही लागू होगा। बी और सी सेक्शनों पर भी यह लागू होगा इसमें मुझे बहुत संदेह है। परिणाम यह होगा कि समस्त भारत के लिए विधान बनाने के हेतु यहां अभी आप चाहे जो कुछ भी करें—जैसा इस प्रस्ताव का अभिप्राय है; मुस्लिम लीग की गैर-हाजिरी में यदि आप इसे पास करते हैं तो आपका प्रयास उनको किसी तरह बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए यह सवाल उठता है समय और श्रम बचाने के विचार से, क्या यह उचित न होगा कि इन वैधानिक प्रश्नों पर विचार आगे के लिए स्थगित रख दिया जाये? इससे कम-से-कम आपकी मेहनत तो बच जायेगी।

इस प्रस्ताव में सुझाये हुए विधान पर अगर आप गौर करें तो मालूम होगा कि इसमें ऐसी बातें हैं जिनसे रियासतों और मुसलमानों का बहुत सम्बन्ध है। आप यहां गणतंत्र की चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

***डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जी** (बंगाल : जनरल): सभापति जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं। अगर मुसलमान न शामिल होंगे तो हम कितनी देर उनका इंतजार करेंगे? हम कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे? वे यहां आ सकते थे पर अपनी मर्जी से नहीं आये हैं।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर:** यह तो कोई वैधानिक आपत्ति की बात नहीं है।

***डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जी:** यह जानकारी डॉ. जयकर से मिलनी चाहिए।

***सभापति:** यह एक तर्क है जिसे माननीय सदस्य अपनी बारी आने पर पेश कर सकते हैं।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर:** यदि माननीय सदस्य ने हस्तक्षेप न किया होता और कुछ देर प्रतीक्षा करते तो मैं उनके इस प्रश्न का भी उत्तर दे देता।

हां, सभापति जी, परिणाम यह होगा कि यहां अनुपस्थित रहकर ही मुस्लिम लीग आपके समस्त प्रयास को व्यर्थ कर सकती हैं इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ यह है कि यदि मुस्लिम लीग शामिल न हुई तो हो सकता है रियासतें भी

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

शामिल न हों। उन्होंने एकाधिक बार इस बात को स्पष्ट कर दिया है। हाउस आफ कामन्स में यह बात साफ तौर पर कही गई थी कि देशी रियासतें ऐसी विधान-परिषद् से कोई बातचीत नहीं चलायेंगी, जिसमें केवल एक दल के ही लोग हैं। अतः यह बात स्पष्ट है कि यदि मुस्लिम लीग यहां अनुपस्थित रहना ही पसन्द करे और हम उसे अपने काम में ऐसा करने के लिए उत्तेजित करें तो हो सकता है कि रियासतें भी न शामिल हों।

***माननीय पं. गोविन्दवल्लभ पंत** (संयुक्तप्रांत : जनरल): माननीय सदस्य ने यह बात कैसे कही कि हाउस ऑफ कामन्स में यह साफ तौर पर कहा गया है कि यदि मुस्लिम लीग शामिल न होगी तो रियासतें भी विधान-परिषद् में शामिल नहीं होंगी?

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** हां मैंने यह कहा है।

***माननीय पं. गोविन्दवल्लभ पंतः** हाउस ऑफ कामन्स में कही हुई बात का आप जो अर्थ लगाते हैं उससे मेरा मतभेद है।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** मैं जो अर्थ समझता हूं, आपके सामने रखता हूं। माननीय सदस्य को स्वतंत्रता है कि वह अपना अर्थ सभा के सामने रखे।

***माननीय पं. गोविन्दवल्लभ पंतः** डॉ. जयकर को अधिकार नहीं है कि वे रियासतों के विचार को यहां व्यक्त करें जब तक कि रियासतों के प्रतिनिधि या उनकी निगोशिएटिंग कमेटी स्थिति को स्पष्ट न कर दे।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** मैं रियासतों का विचार यहां नहीं व्यक्त कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि हाउस ऑफ कामन्स में क्या कहा गया था। यदि मुस्लिम लीग नहीं शामिल होती है तो हो सकता है कि रियासतें भी शामिल न हों। अनुमानतः रियासतें ऐसी विधान-परिषद् से बातचीत करना न पसंद करेंगी जिसमें एक दल के ही लोग हों। यदि ऐसा हुआ तो क्या नतीजा होगा? *(बाधा)*

***सभापतिः** मेरी समझ में यह अच्छा होगा कि हम लोग डॉ. जयकर को आगे बोलने दें।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** क्या आप मुझे 20 मिनट तक अपनी बात न कहने देंगे? मैं समझता हूं कि मेरे भाषण में छिद्र निकालने के लिए आपके पास पूरा एक सप्ताह पड़ा है।

***माननीय पं. गोविंदवल्लभ पंतः** आपके भाषण में दोष निकालने से भी अधिक आवश्यक काम हमारे पास करने के लिए हैं।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** अगर मुस्लिम लीग नहीं शामिल होती है तो बहुत सम्भव है रियासतें भी न शामिल हों। इसका क्या नतीजा होगा? शायद आप सेक्शन ए के लिए एक विधान बनायेंगे। संभवतः ए सेक्शन के प्रान्तों के केन्द्रीय संघ के लिए भी आप एक विधान बनायेंगे। इन प्रान्तों के लिए एक केन्द्रीय संघ बनाना शायद आप चाहें। पर यह निश्चित है कि आप सेक्शन बी के लिए विधान बनाने में असमर्थ होंगे, क्योंकि वहां मुसलमानों की संख्या अधिक है। परिणाम यह होगा कि सेक्शन बी और सी के विधान बनाने के वास्ते एक दूसरी विधान-परिषद् बिठानी होगी जैसा मिस्टर जिन्ना चाहते हैं। ''अनिच्छुक भाग को विधान मंजूर करने पर मजबूर नहीं किया जायेगा।'' इस व्यवस्था से उन सेक्शनों के अल्प-संख्यक समुदाय अर्थात् पंजाब के हिंदू और सिख तथा बंगाल और आसाम के हिंदू लाभ उठा पायेंगे या नहीं, इसे मैं नहीं जानता। इस सम्बन्ध में मैं कोई राय नहीं जाहिर कर सकता। हो सकता है ये लोग इस व्यवस्था से लाभ उठावें और कहें कि चूंकि इस विधान के निर्माण में हमारा हाथ नहीं था, हम इसे मंजूर नहीं करते। यह सम्भव है, पर यह बात तो निश्चित है कि समस्त भारत के लिए विधान बनाने का हमारा प्रयत्न असफल हो जायेगा। सम्भवतः इसका परिणाम यह होगा हिंदुओं के लिए एक विधान होगा और मुसलमानों के लिए अलग एक। और अगर ऐसा हुआ तो रियासतों के लिए एक अलग विधान होगा और इस हालत में बजाय संगठित हिंदुस्तान के हमें मजबूर होकर हिंदुस्तान कटे-छटे पाकिस्तान और राजस्थान तीनों के लिए अलग-अलग विधान रखने होंगे। आपका केन्द्रीय संघ समाप्त हो जायेगा। इसकी स्थापना न हो पायेगी। फिलहाल आपको कम-से-कम यह लाभ तो है कि सेक्शन बी और सी में किसी किस्म का पाकिस्तान स्थापित हो भी गया तो आपके पास एक केन्द्रीय संघ तो होगा, गो कि हो सकता है कि वह दुर्बल हो। इसलिए वर्तमान समय में यही जरूरी है कि मुस्लिम लीग को यहां बुलाने के लिए हम हर तरह प्रयास करें और यह नहीं कि हम उनका यहां आना और कठिन बना दें। यह केवल इसलिए कि हमारा काम सफल हो सके। प्रस्तुत प्रस्ताव को पेश करते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू ने जो भाव व्यक्त किये हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। वस्तुतः उन्होंने कहा है कि हम लोग मुस्लिम लीग का सहयोग चाहते हैं। हमको अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, यद्यपि भूतकाल

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

में उनकी ओर से हमें इसका कोई समुचित उत्तर नहीं मिला है। मैं नहीं समझता कि मेरा तर्क और अच्छे शब्दों में रखा जा सकता है। यह साफ है कि विधान बनाने का कोई काम आप कम-से-कम आगामी अप्रैल तक नहीं कर सकते। इसलिए इसमें क्या नुकसान है अगर आप इस प्रस्ताव पर विचार कुछ हफ्तों के लिए स्थगित रख दें? हां अगर आपको यह बात मालूम है कि मुस्लिम लीग ने बाकायदा प्रस्ताव पास कर अपनी यह मंशा जाहिर कर दी है कि वह इस परिषद् में शामिल न होगी तो बात दूसरी है। वे चन्द हफ्तों में अपना इरादा जरूर जाहिर करेंगे।

मैंने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का वक्तव्य देखा है जो उन्होंने हाउस ऑफ कामन्स में वाद-विवाद के सिलसिले में दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि यह तय है कि यदि कांग्रेस ने 6 दिसम्बर के वक्तव्य को मंजूर किया तो मिस्टर जिन्ना हिन्दुस्तान वापिस जाने पर इस सवाल पर फैसला देने के लिए मुस्लिम लीग की बैठक बुलायेंगे। यह वक्तव्य हाउस ऑफ कामन्स के सामने दिया गया था। जब आपको यह बात मालूम हो जाये कि मुस्लिम लीग ने बाजाब्ता प्रस्ताव द्वारा यह तय कर लिया है कि वह परिषद् में न शामिल होगी तो आप विचार करें कि क्या किया जाये। उस हालत में एक बाधा तो दूर हो चुकी होगी। पर मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मुस्लिम लीग आयेगी ही नहीं। यह व्यावहारिक तजवीज नहीं है। आज सवेरे मेरे एक मित्र आये और मुझसे बोले ''डॉ. जयकर, कल तक तो मैं आपके प्रस्ताव के बिलकुल पक्ष में था पर अब मि. जिन्ना की लन्दन वाली प्रेस कान्फ्रेंस ने बड़ा अन्तर ला दिया है।'' मैंने पूछा, उससे क्या फर्क पड़ गया? वे बोले मि. जिन्ना ने कहा कि वे अब विधान-परिषद् में शामिल न होंगे। मैं नहीं समझता कि मि. जिन्ना ने ऐसा बयान दिया है और अगर उन्होंने दिया भी है तो मैं उसे मुस्लिम लीग का आखिरी तयशुदा और बाजाब्ता फैसला मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या नुकसान है अगर हम तब तक के लिए इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित रख दें? कम-से-कम 20 जनवरी तक यानी आज से करीब चार हफ्तों तक आप कोई अहम काम करने नहीं जा रहे हैं। कम-से-कम तब तक के लिए तो मुस्लिम लीग के लिए आपको रास्ता साफ रख देना चाहिए कि वे यहां आकर हमारी कार्रवाई में हिस्सा लें। मेरे तर्क का

एक जवाब यह हो सकता है ''हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिस पर मुस्लिम लीग को कोई जायज ऐतराज हो सके।'' यह तो मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। सवाल यह नहीं है कि हम ऐसा काम करें, जिस पर मुस्लिम लीग को आपत्ति न हो। सवाल है उन्हें इस बात का अधिकार और मौका देने का कि वे इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श में उपस्थित हों। इसी बात के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। फिर यह भी कहा जाता है कि इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात है जो योजना के प्रतिकूल हो। यह भी मेरी दलील का जवाब नहीं है। मेरा उद्देश्य विधान-परिषद् के प्रयास को असफल होने से बचाना है। आप प्रतीक्षा कीजिये, धीरे-धीरे बढ़िए, कुछ हफ्तों तक रुक जाने से कोई बड़ा फर्क न आ जायेगा। प्रस्ताव को इस अधिवेशन में पास करने के बजाय अगर आप इसे कुछ हफ्तों तक स्थगित रखते हैं तो इससे बड़ा नुकसान न हो जायेगा। यह सच है कि आप जनवरी के अन्त तक बैठक तो स्थगित करने जा रहे हैं पर मेरे संशोधन के अनुसार आप तब तक के लिए प्रस्ताव स्थगित न रखेंगे, यह अजीब बात है। आप कुछ और इंतजार क्यों नहीं करते जिससे मुस्लिम लीग का यहां आना कम कठिन हो जाये? मुझ से कहा गया है कि आखिर इसमें शिकायत की क्या बात है? मुस्लिम लीग प्रस्ताव पास हो जाने के बाद भी शामिल हो सकती है। मेरा जवाब यह है कि उन्हें इस बात का हक है कि वे कार्रवाई में शरीक हों और अपना सहयोग दें। याद रखिए कि मुस्लिम लीग के नेता मि. जिन्ना लन्दन की कान्फ्रेंस में अपनी शिकायत जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि परिषद् में जाने पर हमें बतौर उपहार के उसके तय किये-कराये फैसले मिलें। क्या अभी भी आप उन्हें इस बात की शिकायत और उचित शिकायत का मौका देंगे—कि परिषद् ने यह जानते हुए भी कि हम शरीक हो सकते हैं, हमारी गैर-हाजिरी में बड़े-बड़े जरूरी प्रश्नों को—विधान सम्बन्धी बुनियादी सिद्धांतों को तय कर लिया है? क्या इससे आप मुस्लिम लीग का यहां आना और मुश्किल नहीं बना रहे हैं? जिस बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वह यह है कि जब आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं जैसा मेरा संशोधन चाहता है तो फिर मेरे संशोधन को मान लेने में ही क्या नुकसान है? मैं कहता हूं धीरे-धीरे बढ़िये। इसमें क्या नुकसान है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हम चलेंगे तो धीरे-धीरे पर आपके संशोधन को मान कर नहीं यानी मुस्लिम लीग को यहां

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

आने देने के लिए हम धीरे-धीरे नहीं चलेंगे। यह तो अशोभनीय है। सुन्दर है और सौजन्यपूर्ण तो यह होगा कि आप कहें हम इस पर विचार स्थगित रखते हैं। क्योंकि हम लीग को मौका देना चाहते हैं कि वह भी शामिल हो ताकि उसकी मौजूदगी में हम इस प्रस्ताव पर परस्पर विचार कर निर्णय करें। सभापति जी, जैसा पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा है स्थिति यह है, कि इस समय जिन कठिनाइयों से हम गुजर रहे हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना बड़ी जरूरी है। मैंने सारी कठिनाइयां बता दी हैं। और इस संकट पर भी प्रकाश डाला है कि सभा का प्रयत्न व्यर्थ न हो जाये। इस सम्भावना को देखते हुए मैं हरचंद अपील करूंगा कि पं. जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर—उनकी वाणी पर अमल किया जाये। हम मुस्लिम बन्धुओं का सहयोग चाहते हैं, उनका सहयोग पाने के लिए ही हम प्रस्ताव स्थगित कर अपने पथ से हटते हैं। महात्मा गांधी के अनुयायी बनने का हम दावा करते हैं। वह महिमामय महापुरुष आज दुखित होकर यहां से बहुत-बहुत दूर एकाकी, दुर्बलगात, परिमित भोजन और परिमित निद्रा का कठोर व्रत ले सद्भावना और सहयोग द्वारा मुसलमानों को अपनाने के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। उस महापुरुष के आदर्श का हम यहां अनुसरण क्यों नहीं कर सकते? सभापति जी, यदि अनुमति हो तो मैं कहूंगा कि मुझे इस बात की बड़ी ही प्रसन्नता है कि इस महती सभा के कार्य संचालक के लिए आप जैसा सभापति यहां मौजूद है। इन कतिपय वर्षों में जो कुछ भी मैं आपको जान पाया हूं, आपकी सद्भावना सम्बन्धी असीम क्षमता, आपका सौजन्य, आपकी सहिष्णु भावना, और विरोधी दृष्टिकोण को जानने की आपकी असीम योग्यता, आपके इन सब गुणों को देखते हुए मैं इसे बड़ा ही महत्त्वपूर्ण समझता हूं कि इस समय आप सभापति के आसन पर आसीन हैं और मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि सद्भावना का वातावरण तैयार हो सके और इस दिशा में आपका प्रयास आपके सहज आकर्षणशील स्वभाव के कारण अधिक सफल हो सकता है। इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हम इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखें ताकि हमें मुसलमानों का सहयोग प्राप्त हो सके। परन्तु यह कहा जाता है कि जब मुसलमान आ जायेंगे तो हम प्रस्ताव बदल देंगे। सोच-समझ कर पास किये हुए प्रस्ताव को बदलना न बुद्धिमानी है और न आसान ही है। मेरी दलील का सार यह है कि मुस्लिम लीग को मौका दिया जाये कि वह परिषद् की कार्रवाई में हिस्सा ले, हमारे साथ बैठे और यहां भाषण दे। पर प्रस्ताव पास हो जाने के बाद नहीं बल्कि उसके

पास होने के पहले और पास होते समय। वास्तविक सहयोग यही है और यह नहीं कि आप के सब कुछ कर लेने के बाद जब वे आना चाहें तो आप उनसे कहें कि आइये और जो कुछ हमने कर लिया है उसे स्वीकार कीजिए।

मुझे डर है कि मेरे इस विचार से आप में से बहुतेरे सज्जन असहमत होंगे। मुझे चेतावनी दी गई थी ''आप अपने को बहुत अप्रिय बना रहे हैं।'' मैंने अपने मित्र को जवाब दिया ''बाल्यकाल से मुझे अप्रियता ही पारितोषिक स्वरूप मिली है।'' मैं बहुत अप्रियता के बीच गुजरा हूं। जब मैंने स्वराज्य पार्टी स्थापित करने में मदद दी तो बदनाम हुआ। जब जवाबी सहयोग पार्टी (Responsive Co-operation Party) चलाई तब मैं अप्रिय बना। जब गोलमेज कान्फ्रेंस में शामिल होने लंदन गया तब अप्रिय बना। मैं उस समय अप्रिय बना जब सन् 1935 के कानून को पास कराने में मैंने हाथ बटाया, उस कानून को, जिसे मेरी राय में आपने विवेकहीनता से ठुकरा दिया था। अब उसी ठुकराये हुए कानून से आप चार महत्त्वपूर्ण चीजें ले रहे हैं। वह चार चीजें ये हैं, संघ, कमजोर केन्द्र, स्वायत्तशासन प्राप्त प्रान्त और प्रान्तों में अवशिष्ट अधिकार। क्या मैं यह कहूं कि समय के साथ-साथ मेरी अप्रियतायें भी बढ़ गई हैं? इसलिए अब इस उम्र में और उतने अनुभवों के बाद मुझे अप्रियता का कोई डर नहीं है। मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं आपको बता दूं कि जो रास्ता आप पकड़ रहे हैं वह गलत है, गैर कानूनी है, असामयिक है, विनाशकारी है, संकटपूर्ण है; यह आपको मुसीबत में डाल देगा। आपने मुझे अपने टिकट पर चुना है मैं बाध्य हूं कि आपसे साफ-साफ कह दूं कि आगे संकट है, असफलता का संकट है, कलह का संकट है, जबर्दस्त मतभेद का डर है। आपका फर्ज है कि आप इससे बचें। सभापति जी, बस, मुझे जो कुछ भी कहना था कह दिया।

***सभापतिः** सर हरिसिंह गौड़ ने एक संशोधन की सूचना दी है। यह नियम के खिलाफ मालूम होता है। पर ऐसा घोषित करने के पहले मैं सर हरिसिंह गौड़ से कहूंगा कि वे इस बात पर प्रकाश डालें कि संशोधन क्योंकर प्रासंगिक है। यह यों है:

''उक्त प्रस्ताव में इन शब्दों की जगह कि यह सभा इस प्रश्न पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखती है ताकि उपरोक्त दोनों संगठनों के प्रतिनिधि यदि

[सभापति]

चाहें तो इस सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें।'' ये शब्द रखे जायें:

''सभा की यह राय है कि अन्य स्थानों में पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए मुस्लिम लीग की मांग आत्मघाती है। इसकी राय में मुसलमानों और अन्य सम्प्रदायों के लिए यह हितकर होगा कि संयुक्त निर्वाचक समूह बनाया जाये और अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के लिए आगामी पांच वर्षों तक समानता का दर्जा सुरक्षित रखा जाये और यह भी सुरक्षा-मूलक व्यवस्था रखी जाये कि किसी सम्प्रदाय का कोई सदस्य नियमानुसार निर्वाचित न समझा जायेगा अगर उसे दूसरे सम्प्रदाय का एक निश्चित प्रतिशत वोट न मिले।''

ऐसा मालूम पड़ सकता है कि यह संशोधन, मूल प्रस्ताव अथवा डॉ. जयकर के संशोधन में जो कुछ कहा गया है उससे बहुत अधिक है। अत: मैं कहना चाहता हूं कि यह नियम के प्रतिकूल है। पर फिलहाल मैं अपना फैसला नहीं दूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि वे बतायें कि यह कैसे नियमानुसार है?

*__डॉ. सर हरिसिंह गौड़__ (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): सभापति महोदय, मैं यह बताने के लिए यहां बुलाया गया हूं कि मेरा संशोधन, जिसे डॉ. जयकर के संशोधन पर मैंने उपस्थित किया है, कैसे नियमानुकूल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर डॉ. जयकर का संशोधन नियमानुकूल है तो उस पर मेरा जो संशोधन है वह भी नियमानुकूल है। यह तो मान लेना होगा कि मैंने अपने संशोधन के नियमानुकूल होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा है। मैं यह अनुभव कर रहा था कि अगर डॉ. जयकर सारे मसले को टाल देना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं तो उनका संशोधन शायद संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन का मतलब है ठीक करना। इसलिए डॉ. जयकर के संशोधन का मतलब है कि माननीय पं. नेहरू का मूल प्रस्ताव उनके सुझाये हुए संशोधन के आधार पर मंजूर किया जाये। यह तो संशोधन हो सकता है परन्तु यदि आपका यह मतलब है कि मूल प्रस्ताव एकदम लुप्त ही कर दिया जाये और इस पर बीच में बहस न हो तो मैं नहीं समझता कि डॉ. जयकर आखिर किस बात का संशोधन चाहते हैं? बेहतर होगा कि वह पहले अपना ही संशोधन दुरुस्त कर लें। मैं समझता हूं कि उनका संशोधन विचारा जा सकता है। इसीलिए मैंने अपने संशोधन की सूचना दी है। परन्तु सभापति जी, आप आगे यह भी देखेंगे कि डॉ. जयकर के तथा अपने संशोधन

की नियमानुकूलता के सम्बन्ध में कुछ बात मन में रखकर ही मैंने मूल प्रस्ताव पर एक दूसरे संशोधन की भी सूचना दी है जिसमें मेरे वर्तमान संशोधन की मुख्य-मुख्य बातें आ जाती हैं। संक्षेप में मुझे यह कहना है। यदि डॉ. जयकर का प्रस्तुत संशोधन नियमानुकूल है और उस पर विचार किया जायेगा तो उसे संशोधित करने का मुझे अधिकार है। अन्यथा, यदि वह संशोधन नियम के प्रतिकूल ठहराया जाता है तो मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता। इस हालत में मैं अपना दूसरा संशोधन पेश करूंगा जिसकी सूचना मैं दे चुका हूं।

***सभापतिः** समय आने पर हम आपके दूसरे संशोधन पर विचार करेंगे। डॉ. हरिसिंह गौड़ के संशोधन के साथ प्रस्ताव यों होगाः

> ''यह सभा अपना यह दृढ़ और गम्भीर निश्चय घोषित करती है कि भारत के भावी शासन के लिए जो विधान यह बनायेगी वह एक स्वतंत्र गणतांत्रिक सत्ता सम्पन्न राज्य का विधान होगा। परन्तु ऐसा विधान बनाने में मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का सहयोग पाने तथा इस तरह अपने निश्चय को और उग्र बनाने के उद्देश्य से सभा की यह राय है कि अन्य स्थानों में पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए मुस्लिम लीग की मांग आत्मघाती है। इसकी राय में मुसलमानों और अन्य सम्प्रदायों के लिये यह हितकर होगा कि संयुक्त निर्वाचक समूह बनाया जाये और अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के लिए आगामी पांच वर्षों तक एक निश्चित संख्या की सीटें सुरक्षित रखी जायें और यह भी सुरक्षा-मूलक व्यवस्था की जाये कि किसी सम्प्रदाय का कोई सदस्य नियमानुसार निर्वाचित न समझा जायेगा अगर उसे अन्य सम्प्रदाय का एक निश्चित प्रतिशत वोट न मिले।''

डॉ. हरिसिंह गौड़ प्रस्ताव के दो भागों को ठीक-ठीक नहीं जोड़ पाये हैं और यह नियम के प्रतिकूल है।

अब मैं उन सदस्यों से जिन्होंने संशोधन की सूचना दी है यह कहना चाहता हूं कि अपने संशोधन बारी-बारी से पेश करें यदि वे नियमानुकूल हैं। मूल प्रस्ताव और संशोधन सब पर साथ विचार किया जा सकता है। मेरी समझ में इससे समय की बचत होगी।

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैयाः** माननीय डॉ. जयकर का संशोधन मूल प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का एक तरह से प्रस्ताव-सा है। इसलिए अन्य संशोध नों के पहले, जो मूल प्रस्ताव से वस्तुतः स्वतंत्र है, डॉ. जयकर के संशोधन पर ही विचार और फैसला करना चाहिए।

***दीवान चमनलाल** (पंजाब : जनरल): डॉ. जयकर का संशोधन भी स्वतंत्र और पृथक् ही है। यह विधि विहित नहीं है। इसमें गणतंत्र को हटा कर प्रजातंत्र की बात कही गई है और यद्यपि यह कहता है कि और विचार करना स्थगित रखा जाये फिर भी यह विधि विहित संशोधन नहीं माना जा सकता।

***सभापतिः** हम लोगों ने इसे एक संशेधन माना है। दूसरा संशोधन है श्री सोमनाथ लाहिरी का, जिसकी सूचना आ चुकी है। इस संशोधन के संबंध में भी मेरा मत यही है कि यह नियमानुकूल नहीं है। मैं श्री लाहिरी से कहूंगा कि वे बतावें कि यह नियमानुकूल कैसे है?

***श्री सोमनाथ लाहिरी** (बंगाल : जनरल): मेरा संशोधन मूल प्रस्ताव पर है। मूल प्रस्ताव विधान-परिषद् का यह लक्ष्य निश्चित करता है कि विधान-परिषद् भारत को स्वतंत्र सर्वसत्तासम्पन्न गणतांत्रिक राज्य घोषित करेगी। मेरा संशोधन केवल इस कारण से ही संशोधन माना जा सकता है कि यह भी मूल प्रस्ताव के विषय से ही सम्बन्ध रखता है और उसके मुख्य विचारों के प्रतिकूल नहीं है।

***सभापतिः** आपके संशोधन के सम्बन्ध में आपत्ति यह है कि यह कुछ कार्यवाही करने की बात कहता है जो मूल प्रस्ताव में नहीं है। उदाहरण के लिए यह कहता है कि यहां, और अभी ही भारतीय गणतंत्र की घोषणा कर दी जाये। यह मध्यकालीन सरकार से कहता है कि वह एक खास तरीके से काम करे और इसी तरह की बहुत-सी बातें इसमें हैं। यह एक प्रस्ताव है जो अभी और यहां ही कुछ काम शुरू करने का आदेश देता है और इसी माने में इसे नियम के बाहर बताया गया है।

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** मैं समझता हूं कि अगर प्रस्ताव के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्रवाई सुझाई जाये तो निश्चय ही वह संशोधन के अंतर्गत है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि आपने डॉ. जयकर के प्रस्ताव में मुस्लिम लीग से सम्बन्ध रखने वाली और बहुत-सी दूसरी बातें भी शामिल करने के लिए इजाजत दे दी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूल प्रस्ताव में नहीं है। चूंकि डॉ. जयकर समझते हैं कि मुस्लिम लीग और दूसरों को यहां शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। इस सभा को स्थगित रखने तक की कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने अपना संशोधन मंजूर करने का सुझाव दिया

और आपने उसे नियमानुकूल माना है। जिस तरह सभा स्थगित रखना भी कार्यवाही ही है उसी तरह दूसरा सुझाव भी निश्चय ही नियमानुकूल है। सभापति महोदय, अगर आज्ञा हो तो एक प्रसंग की याद दिलाऊं। सन् 1939 में जब आप राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष थे, युद्ध की घोषणा होने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने एक प्रस्ताव पेश हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया जिसमें अंग्रेजों से कहा गया था कि वे युद्ध का उद्देश्य घोषित करें और जिसमें कुछ शर्तें भी रखी गई थीं जिनके आधार पर भारत युद्ध में सहयोग देने के लिए रजामंद था। मुझे याद है कि मैंने इस आशय का संशोधन रखा था कि देश को संघर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाये। आपने सभापति के आसन से कहा था कि ''संशोधन नियमानुकूल है।'' यद्यपि पं. जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि संशोधन का अभिप्राय मूल प्रस्ताव के आशय से प्रतिकूल था।

***एक सदस्यः** क्या यह तहरीर में आ चुका है?

***सभापतिः** मुझे डर है कि उक्त विवरण नजीर नहीं माना जा सकता। *(हंसी)*

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** यह तो मेरा निवेदन है। यदि इतने पर भी आप समझते हैं कि मेरा संशोधन नियम के बाहर ठहराया जाना चाहिये, तो मूल प्रस्ताव पर ही मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिये ताकि मैं अपना विचार व्यक्त कर सकूं।

***सभापतिः** मेरी समझ में संशोधन नियम के बाहर है। मूल प्रस्ताव पर बोलने का मौका आपको बाद में दूंगा।

मुझे सूचना मिली है कि प्राप्त संशोधनों में से बहुतेरे वापस ले लिये गये हैं। मैं उन्हीं सदस्यों को संशोधन उपस्थित करने के लिये कहूंगा, अवश्य ही यदि वे ऐसा चाहते हैं जिन्होंने अपने संशोधन वापस लेने की इच्छा नहीं प्रकट की है। अब क्रम से दूसरा संशोधन जो वापस नहीं लिया गया है वह है श्री रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय का। यदि उनकी इच्छा हो तो कृपया आगे आकर अपना संशोधन पेश करे।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय** (बिहार : जनरल): सभापति महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं:

प्रस्ताव के प्रथम और दूसरे पैरों की जगह यह रखा जाये:

''यह विधान-परिषद् कम-से-कम समय में भारत को एक स्वतंत्र सर्वसत्तासम्पन्न

[रायबहादुर श्यामनंदन सहाय]

प्रजातंत्र बनाने के दृढ़ और गंभीर निश्चय की घोषणा करती है जिसमें प्रारंभ में ये भाग शामिल रहेंगे:

(क) वह भाग जो आज ब्रिटिश भारत कहलाता है और यथाशीघ्र वे भी.....

(ख) वह भाग, जिसको लेकर आज रियासतें बनी हैं,

(ग) अन्य दूसरे भाग जो आज ब्रिटिश इंडिया और रियासतों के बाहर हैं,

(घ) दूसरे ऐसे भाग जो स्वेच्छा से स्वतंत्र सर्वसत्तासम्पन्न भारतीय प्रजातंत्र में सम्मिलित होना चाहते हैं,

और यह भी निश्चय करती है कि भावी शासन चलाने के लिए एक विधान प्रस्तुत और लागू किया जाये।''

सभापति महोदय, यह बात नहीं है कि संशोधन उपस्थित करने में मुझे कुछ संशय या लज्जा का बोध न होता हो। माननीय प्रस्तावक महोदय की महत्त्वपूर्ण और शानदार वक्तृता के बाद मैंने बहुत देर तक सोच-विचार कर संशोधन रखना ही तय किया। खास करके इसलिए कि मेरी समझ में संशोधन बजाय बाधक होने के प्रस्तावक के उद्देश्यों को सहायता पहुंचाता है। मुझे डर है कि शायद कुछ स्वार्थी लोग हम लोगों को—परिषद् के सदस्यों को—विच्छिन्न करने की कोशिश करें परन्तु चाहे जो हो, यह मेरी दृढ़ इच्छा है और मैं जानता हूं कि यहां समवेत सभी सदस्यों की यह इच्छा है कि परिषद् अपना काम जारी रखे। माननीय डॉ. जयकर ने अपने भाषण में कई कठिनाइयों का उल्लेख किया है। उनमें एक कठिनाई यह भी बताई गयी थी कि हमें मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करना है। विधान-सम्बन्धी कानून की जानकारी में मैं उनके आगे कुछ नहीं हूं। पर मैंने विधान-परिषद् के सभापति को भाषण के सिलसिले में यह कहते हुए सुना कि यद्यपि परिषद् पर पाबंदियां लगाई गई हैं, इसे उन पाबंदियों को उल्लंघन करने का स्वाभाविक अधिकार है। इसी आधार पर मैंने अपना संशोधन रखा है। अब मैं यह बताऊंगा कि मूल प्रस्ताव और मेरे संशोधन में क्या अंतर है क्योंकि यह समझाना निहायत जरूरी है। प्रस्ताव में मैंने चन्द परिवर्तन क्यों किये हैं। पहला परिवर्तन यह है कि 'घोषित करने' की जगह 'बनाने' शब्द मैंने रखा है। इस परिवर्तन का कारण मैं पीछे समझाऊंगा। इस समय मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि मूल प्रस्ताव और संशोधन में क्या अंतर है। और

फिर सम्मिलित संघ (यूनियन) को बिलकुल बाद दे दिया है और ''कम-से-कम समय में'' इतना बढ़ा दिया है। मैंने संशोधन में यह भी कहा है, विधान न सिर्फ बनाया जाये बल्कि लागू किया जाये। मूल प्रस्ताव और मेरे संशोधन में अंतर की यही चन्द खास बातें हैं। मैंने प्रस्ताव को बड़े ध्यान से पढ़ा है। और एक बार माननीय प्रस्तावक महोदय के सम्मुख कुछ हद तक अपना मत व्यक्त करने का मौका भी मुझे मिला था। प्रस्तावक महोदय ने स्वीकार किया था कि प्रस्ताव की रचना कहीं-कहीं कुछ पुराने ढंग पर है। शायद कानून बनाने में और विधान बनाने में उन पारिभाषिक शब्दों का कानून प्रयोग आवश्यक है जिन्हें आज से सौ वर्ष पहले अमेरिकन विधान के निर्माताओं ने या अन्य देशों के विधान-निर्माताओं ने प्रयुक्त किया था। परन्तु मैं समझता हूं कि हम लोगों के लिए यह अधिक उपयोगी और सहायक होगा कि हम अपना विधान संक्षेप में और साफ-साफ शब्दों में बनायें जिनके अर्थ स्पष्ट हों और जिन्हें सभी समझें। इसमें कोई लाभ नहीं कि विधान बनाने में प्राचीन शब्दों का प्रयोग केवल इस बिना पर करें कि पुराने विधानों में उनका प्रयोग किया गया है। अब मैं प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण बताने की कोशिश करूंगा। मेरी समझ में वस्तुतः जो सभा चाहती है वह उसका अभिप्राय ''घोषित करने'' इस शब्द में नहीं आता है। मैं समझता हूं कि आज से पहले दूसरे मौकों पर भी स्वतंत्रता की घोषणा की जा चुकी है। अब हमारा फर्ज यह है कि हम राज्य को वस्तुतः स्वतंत्र सत्तासम्पन्न प्रजातंत्र बना दें और इसीलिए मेंने ''घोषित करने'' की जगह ''बनाने'' रखा है। सभापति जी, मैंने ''संघ'' शब्द को बाद दे दिया है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसे संघ की जरूरत नहीं है। उसे तो दैव से ही एक महान ''संघ'' प्राप्त हुआ है। और इसको दुहराने से, पुनः प्रयुक्त करने से यह अर्थ लगाया जा सकता है कि भारतीय संघ अभी बनना बाकी है। यह अलग बात है कि हम अपने बनाये विधान को फिलहाल हिंदुस्तान के केवल एक भाग पर ही लागू कर सकें। पर हम इसे यथाशीघ्र दूसरे भागों में भी चालू करने की फिक्र में हैं। इसलिए अगर यह मेरे ही बस की बात होती तो मैं तो केवल हिंदुस्तान ही शब्द रहने देता, ''संघ'' शब्द को न रखता। दूसरे देशों के विधान में जहां भी ''संघ'' का प्रयोग किया गया है वहां इस शब्द के प्रयोग की खासी वजह थी। फिर जैसा मैंने बताया है संशोधन में मैंने 'विधान बनाने और उसे लागू करने' इन शब्दों का प्रयोग किया है। मैंने इस सभा में अपना संशोधन पेश करने के पहले यह बात किसी से सुनी थी कि विधान-परिषद् को अधिकार है कि वह अपने बनाये विधान को लागू करे। मैंने 16 मई की घोषणा भी ध्यान से पढ़ी है। घोषणा किसी भी रूप में यह नहीं कहती है कि परिषद्

[रायबहादुर श्यामनंदन सहाय]

के बनाये विधान को ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्वीकृति आवश्यक है। उसमें ये दो जरूरी शर्तें दी हुई हैं। एक तो यह कि भारत और इंग्लैंड के बीच संधि होगी और दूसरी यह है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इसलिए मैं तो यह मानता हूं कि हम लोगों को न सिर्फ विधान बनाने का बल्कि उसे लागू करने का भी अधिकार प्राप्त है। इसीलिए मैंने ''विधान बनाने'' की जगह ''विधान बनाने और उसे लागू करने'' शब्दों का प्रयोग किया है।

दूसरा परिवर्तन जो मैंने संशोधन में रखा है वह यह है कि मैंने विधान को सम्पूर्ण भारत में लागू कर देने के लिए क्रमशः भिन्न-भिन्न समय निर्धारित करने की कोशिश की है। मैं बता दूं कि मूल प्रस्ताव में भी कुछ ऐसे प्रदेशों की बात सोची गई है जो शायद 'संघ' में देर से शामिल हों। सभापति जी, उदाहरण के लिए मैं दो प्रदेशों का हवाला दूंगा जिनका जिक्र मूल प्रस्ताव में यों है ''वे प्रदेश जो ब्रिटिश भारत तथा रियासतों से बाहर हैं और अन्य ऐसे प्रदेश जो संघ में शामिल होना चाहते हों।'' उक्त दोनों भाग 'संघ' में इसी वक्त शामिल नहीं होने जा रहे हैं। इसलिए मूल-प्रस्ताव में संघ की मुकम्मिल स्थापना के लिए क्रमशः भिन्न-भिन्न मंजिलें सोची गई हैं। मैंने भी अपने संशोधन में इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि हमारा प्रजातंत्र प्रारंभ में उन्हीं प्रदेशों को लेकर बनेगा जो आज ब्रिटिश भारत के नाम से मशहूर हैं और फिर यथाशीघ्र उन भागों को भी शामिल कर लेगा जो देशी रियासतों के नाम से परिचित हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, संशोधन पेश करने में मेरा मतलब यही है कि पहला प्रस्ताव हम इस तरह बनायें कि हमें उसे फिर कभी न बदलना पड़े। यह प्रस्ताव विधान-परिषद् के काम का प्रारम्भ—श्रीगणेश है—और यह कोई नहीं चाहेगा कि बाद में परिस्थिति में परिवर्तन होने से प्रस्ताव में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाये। ब्रिटिश-भारत के बहुसंख्यक सम्प्रदायों ने भूतकाल में अपने प्रदेश के लिए स्वतंत्र सत्तासम्पन्न प्रजातंत्र स्वीकार किया है। वहां के अल्पसंख्यक सम्प्रदाय इसमें कुछ कठिनाइयां बता सकते हैं। इन कठिनाइयों पर हमें ध्यान देना होगा और उन्हें हल करना होगा। इसलिए प्रस्ताव में मैंने वक्त या मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं जिसके

जरिये हम स्वतंत्र सत्तासम्पन्न प्रजातंत्र की मुकम्मिल स्थापना कर लेंगे। परन्तु यदि हम उन लोगों का सहयोग न भी पा सके, जिनका सहयोग हम पाना चाहते हैं, बल्कि जिनके सहयोग के लिए हम बहुत चिन्तित हैं, तो भी हम आजादी की ओर बढ़ते जायेंगे। हमारे कदम न रोके जायेंगे और हमें इसके लिए इंतजार न करना पड़ेगा कि सभी प्रदेश राजी हो जायें, तब विधान लागू किया जाये। सभापति महोदय, इन्हीं बातों ने मुझे यह संशोधन रखने के लिए प्रेरित किया है। मुझे खेद है कि माननीय प्रस्तावक महोदय आज अनुपस्थित हैं। वस्तुतः मेरी यह इच्छा थी कि जो बातें मेरे दिमाग में हैं उनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट करूं और उनसे अनुरोध करूं कि वे इस पर विचार करें कि क्या मेरे संशोधन को या उसके उन भागों को, जो उनके बतायें ख्यालों के खिलाफ न हों, स्वीकार करना उनके लिए सम्भव न होगा।

***सभापतिः** दूसरा संशोधन है श्रीगोविन्द मालवीय का जिसकी सूचना आ चुकी है। यह संशोधन बजाब्ता वापस नहीं लिया गया है। श्रीगोविन्द मालवीय उपस्थित नहीं हैं पर उन्होंने मुझ से कहा है कि वे उसे नहीं रखना चाहते। अतः मेरी राय में यह प्रस्ताव वापस ले लिया जा चुका है।

अब, रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय का एक दूसरा संशोधन है।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहायः** सभापति जी, दूसरा संशोधन जिसकी सूचना मेरी ओर से आयी है वह यह है कि प्रस्ताव के पैरा 4 में ये शब्द बाद दे दिये जाये:

''सर्वसत्ता सम्पन्न स्वतंत्र भारत को, इसके अंतर्गत भागों को, तथा इसके शासन के सब अंगों को''

***प्रो. एन.जी. रंगा** (मद्रास : जनरल): क्या कोई सदस्य एक ही प्रस्ताव पर एक से ज्यादा मर्तबा बोल सकता है? जब उनके दो या तीन संशोधन हों तो वे सब एक साथ पेश करें और एक वक्तृता दें।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहायः** प्रस्ताव के कई पैराग्राफों के अनुसार संशोधन रखे गये हैं।

***सभापतिः** श्री सहाय का एक और भी संशोधन है। दोनों को एक साथ ही पेश कर सकते हैं।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहायः** सभापति जी, दूसरा संशोधन यह है:

''प्रस्ताव के पैरा 5 में 'कानून की दृष्टि में सबका दर्जा बराबर होगा, सबको समान अवसर मिलेगा" की जगह यह रखा जाये–

[रायबहादुर श्यामनंदन सहाय]

''कानूनन सबको बराबर दर्जा, समान अवसर और सुरक्षा मिलेगी'' मैं इस संशोधन को पेश नहीं करूंगा।

''सर्वसत्ता सम्पन्न भारत को, इसके अंतर्गत भागों को तथा इसके शासन के सब अंगों को'' इसे प्रस्ताव के चौथे पैरा से हटाने का संशोधन तो मैं केवल इसलिए रखना चाहता हूं कि परिषद् के सुचारु रूप से काम करने में कोई रुकावट न आये और इसलिए भी कि परिषद् के अन्य सदस्यों के शामिल होने के पहले हम कुछ ऐसा न कर बैठें जिससे उन्हें आरंभ में ही भय हो।

चौथा पैरा यह कहता है:

''जिसमें सर्वसत्ता सम्पन्न स्वतंत्र भारत को, इसके अंतर्गत भूभागों को तथा इसके शासन के सब अंगों को सारी शक्ति, सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे।''

इसके अंतर्गत भूभागों में देशी रियासतों के प्रदेश भी हैं। मैं समझता हूं इस सभा के बहुत से सदस्यों का ध्यान बीकानेर की रियासत की धारा सभा में—या जो भी नाम हो—हाल ही में दिये हुए वहां के प्रधानमंत्री के वक्तव्य की ओर जरूर गया होगा। वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि जहां तक रियासतों का प्रश्न है, हमारा यह मत है कि अधिकार जनता से नहीं प्राप्त हैं बल्कि राज्य से। मैं यह कहता हूं कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर मतभेद हो सकता है और ऐसे प्रस्ताव को पास करना उचित नहीं है जिसके आशय से विधान परिषद् के एक आवश्यक अंग को परिषद् से अलग रहने के लिए वास्तविक शिकायत की गुंजाइश मिल सके।

मेरे संशोधन पर प्रस्ताव का स्वरूप यह हो जाता है:

'जिसमें सारी शक्ति और सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे।'

इसमें अंतर्गत भूभागों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय प्रस्तावक महोदय ने कहा था कि उनकी कल्पना के प्रजातंत्र में राजतंत्रीय पद्धति वाले राजाओं और रियासतों की गुंजाइश रहेगी। इस हालत में ऐसा प्रस्ताव पास करना ठीक न होगा जो यह कहता हो कि प्रजातंत्र के अंतर्गत भूभागों को सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे। सभा के सदस्यों ने शायद वह वक्तव्य देखा होगा जो कल रात को ब्रॉडकास्ट किया गया था और जिसमें भिन्न-भिन्न रियासतों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव पर कुछ आपत्ति की है और यह शिकायत की है कि इसके सम्बन्ध में पहले उनसे कोई परामर्श नहीं लिया गया। इन सब बातों को

मद्देनजर रख कर और सभा में उपस्थित सभी सदस्यों की इस जबरदस्त इच्छा को मद्देनजर रख कर कि सभा का काम सुचारु रूप से चले, मेरी समझ में हमें न तो ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहिये और न ऐसा वक्तव्य ही देना चाहिये जिससे वास्तविक मतभेद का समुचित कारण पैदा हो।

संशोधन नं. 30 को मैं नहीं पेश करूंगा क्योंकि उसमें सिर्फ शाब्दिक परिवर्तन है। मेरी ओर से एक और संशोधन की सूचना दी गयी है। वह है संशोधन नं. 43, मैं उसे भी नहीं पेश करूंगा।

***सभापतिः** दूसरा संशोधन नं. 25 सर उदयचन्द महताब का है।

***सर उदयचन्द महताब महाराजाधिराज बर्दमान** (बंगाल : जनरल): मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता।

***सभापतिः** मैं देखता हूं कि अन्य सभी संशोधन जिनकी सूचनायें आयी थी वापस ले लिये गये हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई भूल नहीं और अगर कोई संशोधन रह गया तो सदस्य मुझे बता सकते हैं। एक संशोधन है जिसकी सूचना डॉ. हरिसिंह गौड़ ने दी है पर दुर्भाग्य से उसकी सूचना आज सवेरे मिली है। संशोधनों की सूचना के लिए मैंने अवधि निर्धारित कर दी थी और चूंकि डॉक्टर हरिसिंह गौड़ ने अवधि बीतने पर सूचना दी है, मैं उन्हें संशोधन पेश करने की इजाजत देने में असमर्थ हूं।

अब प्रस्ताव और सारे संशोधन पेश हो चुके हैं अब सभा इन पर विचार करेगी।

मैं सदस्यों से कहूंगा वे कम समय में ही अपनी बात कहें क्योंकि इस पर हमें दो दिन लग चुके हैं और यद्यपि मैं किसी सदस्य के भाषण सम्बन्धी अधिकार को कम करना नहीं चाहता पर सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे मेरी बात पर ध्यान रखें। वाद-विवाद में भाग लेने वाले सज्जनों के नाम की सूची मेरे पास है पर मैं इसे मुकम्मिल नहीं मानता। इसके अतिरिक्त भी सदस्य हो सकते हैं जो बोलना चाहते हों। पर मैं इस सूची के अनुसार चलूंगा और यदि अतिरिक्त सदस्य भी बोलना चाहेंगे तो बीच-बीच में उन्हें भी मौका दूंगा। सूची में पहला नाम है, श्री श्रीकृष्ण सिन्हा का। सभा के समक्ष अब वे अपनी बात कहें।

***माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा** (बिहार : जनरल): आदरणीय सभापति महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मेरी राय में वस्तुतः यह दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का पवित्र प्रस्ताव भी आलोचना से न बच पाया और इस पर अनेक संशोधन पेश किये गये हैं। मैं

[माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा]

इसे पवित्र इसलिए कहता हूं क्योंकि इस प्रस्ताव में स्वतंत्र होने की हमारी भावना और प्रेरणा व्यक्त की गई है, जिसने आज कई वर्षों से हमें आंदोलित कर रखा है।

सभापति महोदय, अगर ध्यान से उस पर विचार किया जाये तो इसमें भावी भारत की एक पूरी तस्वीर दिखाई देगी। भावी भारत एक प्रजातंत्र होगा जिसके अंतर्गत प्रदेशों को खुद मुख्तारी हासिल रहेगी। इस भारतीय प्रजातंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होगी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहेगी। प्रस्ताव की ये तीन प्रधान विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण मैं इसे पवित्र मानता हूं। मैं अपनी बात संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा। फिर भी मैं सभा को यह याद दिलाये बिना नहीं रह सकता कि हम लोग यहां उस अधिकार के बिना पर समवेत हुए हैं जो मनुष्यों के लिए बहुमूल्य है और जिसे मनुष्य जाति ने कठोर कष्ट और त्याग के बाद प्राप्त किया है। हर समाज में जीवन को चलाने के लिए एक-न-एक राजनैतिक संगठन की शासन पद्धति की जरूरत होती है। यदि हम संसार के राज्यों की क्रमागत उन्नति का इतिहास देखें तो मालूम होगा कि जीवन-सम्बन्धी विचारधारा में परिवर्तन होने के साथ-साथ शासन पद्धति में भी परिवर्तन न होता आया है। मुझे सभा के एक सदस्य के मुंह से यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वस्तुतः इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि समाज में राजनैतिक सत्ता अधिकार कहां स्थित है। स्वयं यह सभा जनता की सत्ता पर समवेत हुई है। अवश्य ही अभी कुछ ही दिन पहले संसार इस बात पर विश्वास नहीं रखता था कि समाज के प्रत्येक सदस्य को सुख और स्वतंत्रता का समान अधिकार है। समाज में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं था और समाज का संगठन वर्ग-भेद के आधार पर था। समाज में व्यक्ति का स्थान उसके वर्ग से निश्चित होता था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं था। गरीबी एक रोग नहीं समझी जाती थी, जिससे समाज को बचाना हो। अठारहवी शताब्दी में फ्रांस के कुछ बड़े-बड़े विचारकों की यह राय थी कि सम्पत्ति के समुचित उत्पादन के लिए समाज में गरीबी का होना बहुत जरूरी है। ऐसे समाज में भला इस सिद्धांत के लिये कहां स्थान है कि सत्ता जनता के हाथ में है। तब सत्ता राजाओं में सन्निहित थी और उन्हें शासन का विशेषाधिकार प्राप्त

था। जनता सिर्फ इसलिए थी कि वह राजा द्वारा लगाये करों को चुकाये और उसके द्वारा बनाये कानूनों को सिर-आंखों पर रखे। पर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, जीवन और समाज सम्बन्धी विचारों में भी परिवर्तन आता गया। मनुष्य विश्वास करने लगे कि हर व्यक्ति को सुख स्वतंत्रता का समान अधिकार प्राप्त है। जीवन-सम्बन्धी विचारधारा में यह परिवर्तन आ जाने से यह आवश्यक हो गया कि राजकीय शासन पद्धति में परिवर्तन किया जाये। पर जिनके हाथ में सत्ता थी वे इसे छोड़ने के लिए और शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिये तैयार न थे। इस तरह से इन दो आदर्शों के बीच, (एक तो जिससे जनता प्रभावित थी और दूसरे वह जिससे सत्ताप्राप्त वर्ग प्रभावित था।) एक घनघोर संघर्ष छिड़ गया। 18वीं शताब्दी के अन्त में, अन्ध महासागर की दोनों तटवर्त्ती भूमियों पर भयानक क्रांतियां हुईं और इस सिद्धांत की विजय हुई कि सत्ता जनता के हाथ में है। इसके बाद भी बहुतेरे ऐसे शासक आये जो इस सिद्धांत को न मानते थे और इस तरह एक और सशस्त्र क्रांति हुई। जिसमें भयंकर रक्तपात हुआ और तब कहीं इस सिद्धान्त को सबने स्वीकार किया। इसी अधिकार की प्राप्ति के लिये ही हम कई वर्षों से इस देश में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ते आ रहे हैं। इसी के लिए सन् 1921 में सारा देश इस कोने से उस कोने तक मुह्यमान हो उठा और लाखों आदमी महात्मा गांधी द्वारा परिचालित सत्याग्रह-संग्राम में कूद पड़े। जनता के इस बुनियादी अधिकार की स्थापना के लिये ही सैकड़ों फांसी पर झूल गये, हजारों गोलियों के शिकार हुए और लाखों जेल गये। जनता और भारत सरकार के राजनैतिक आदर्शों में, विचारधारा में जबरदस्त अंतर था और इसके फलस्वरूप इन दोनों के बीच सदा संघर्ष रहा है। इसलिए सभापति जी, हम लोग इस परिषद् में इस बिना पर नहीं समवेत हुए हैं कि आज सरकार ने अपनी उदारता के आवेश में यह उचित समझ लिया है कि अब हमें अधिकार दे दिये जायें। मैं इस स्थिति में रहा हूं कि इस सम्बन्ध में अपनी राय कायम कर सकूं कि आया शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरित करने की जो बात कही जा रही है उसमें सच्चाई भी है या नहीं। जो लोग इंडिया एक्ट के राजनैतिक आदर्शों के अनुसार आज भी भारत पर शासन करने का स्वप्न देख रहे हैं उनको हमने बाध्य कर दिया है कि वह अपना यह विचार त्याग दें और इसीलिए आज यहां हम समवेत हो पाये हैं। विद्रोह की जो क्रांतिमयी भावना सन् 1942 में देश भर में फैल गई उसने हमें कामयाब बनाया और उसी

[माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा]

का नतीजा है कि हम आज यहां समवेत हुए हैं। इस महती परिषद् में समवेत होने पर हमारा फर्ज होना चाहिये कि हम भावी भारत की रूपरेखा तैयार करें और उसे देश के सामने रखें। माननीय डॉ. जयकर ने अपनी ओजमयी वक्तृता में उन कठिनाइयों पर पूरा प्रकाश डाला है जो हमारे मुस्लिम लीगी बन्धुओं की गैरहाजिरी से पेश होगी। मैं नहीं समझता कि इन कठिनाइयों पर प्रकाश पाने के लिए माननीय डॉ. जयकर सरीखे महत्त्वपूर्ण और प्रसिद्ध व्यक्ति के भाषण की कोई जरूरत थी।

कठिनाइयां क्या हैं, इसे हम सभी जानते हैं। यदि हमने उनका भाषण ठीक-ठीक समझा है तो मेरे ख्याल में उन्होंने हमें निराशा की कोई बात नहीं कही है। वस्तुत: उन्होंने यह राय दी है यदि हमारे लीगी मित्र कुछ समय तक न आये तो फिर हमें अपने काम में अग्रसर हो जाना चाहिये।

हमारे नेता पं. जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि हम इसके लिए चिन्तित हैं कि हमारे मुस्लिम लीगी मित्र इस परिषद् में शामिल हों जिसका उन्हें हक है। हम सब इसके लिए फिक्रमंद हैं कि वे यहां आवें। पर मैं यह नहीं समझ पाता कि आखिर यह प्रस्ताव उनके भविष्य में यहां आने में कैसे रुकावट डालता है। अगर हमने मुस्लिम लीग की राजनैतिक विचारधारा को ठीक-ठीक समझा है, अगर हमने मंत्रि प्रतिनिधि मंडल की घोषणा को ठीक-ठीक समझा है तो इस बात जिसमें हम सभी सहमत हैं और वह यह है कि भावी भारत संयुक्त हो और यदि जनता चाहे तो वह ब्रिटिश कामनवेल्थ से बाहर भी रह सकता है। समय-समय पर मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा दिये हुए वक्तव्यों से हम दरअसल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मुस्लिम लीग भी स्वतंत्र भारत की हामी है। इसलिए जैसा कि हम सभी चाहते हैं और मुस्लिम लीग चाहती है, भावी भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। उस स्वतंत्र भारत में सारी शक्ति, सारे अधिकार यहां बसने वाली जनता के हाथ में होंगे। इसी सिद्धांत के लिए हम सब इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे अब जब परिषद् समवेत हुई है और हम अपनी घोषणा प्रकाशित करने जा रहे हैं, तो पहली चीज जो इस घोषणा में होनी चाहिये वह यह है कि जाति को, जो स्वतंत्र होने का फैसला कर चुकी है, आजादी का बुनियादी हक हासिल है। इसलिए प्रस्ताव के उस पहलू पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, जो संघ हम भारत में बनाने जा रहे हैं, वह भारत के सभी प्रदेशों का संघ होगा। अवश्य ही इसका यह मतलब हुआ कि भावी भारत संयुक्त होगा, सम्मिलित होगा। मैं फिर कहूंगा कि इस प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के जिस स्वरूप की कल्पना की गई है उससे यह स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव के रचयिता ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि इस प्रस्ताव में कोई ऐसी चीज न हो जिससे आगे चल कर मुस्लिम लीगी मित्रों के शामिल होने में कोई रुकावट पेश हो। मैं जानता हूं सभापतिजी, इस सभा में ऐसे सदस्य भी हैं और मैं मंजूर करता हूं कि मैं भी उन्हीं में से हूं जिनका यह विश्वास है कि भारत में एक राष्ट्र का—भारतीय राष्ट्र का—प्रादुर्भाव हो चुका है जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति से सराबोर है। ऐसे लोग इस बात के लिए चिन्तित हैं कि भारत में एकात्मक शासन पद्धति मूलक (Unitary Govt.) गणतंत्र हो। संसार में उत्पादन सम्बन्धी आर्थिक शक्तियां इतनी बढ़ गई हैं कि उनका पूरा-पूरा फायदा उठाने के लिए यह जरूरी हो गया है कि राष्ट्रीय सीमाओं को लांघ कर—मौजूदा राष्ट्रीयता के सीमित दायरे को फांद कर—शासन संचालन के लिए कई प्रदेशों को मिलाकर और भी बड़े-बड़े संघ या खण्ड बनायें। बहुत से लोग अब इस तथ्य को, इस आवश्यकता को समझ गये हैं और यही कारण है कि बहुत से भारतीय यह महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान में केन्द्रीय गणतंत्र होना चाहिए। परन्तु इसके बावजूद भी अगर हम इस प्रस्ताव द्वारा भारत में लोकतंत्रीय पर विकेंद्रित गणतंत्र चाहते हैं तो यह केवल इसलिए कि इस प्रस्ताव के रचयिता ने प्रस्ताव बनाने में मुस्लिम लीगी मित्रों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा है। एक जमाना था जब संसार की तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार बड़े-बड़े राज्य बन सके थे जिनके निवासियों में भाषा और धर्म का सामंजस्य या एकरूपता थी। इसमें शक नहीं कि राष्ट्र-राज्य (National State) जिसके निवासियों में सांस्कृतिक ऐक्य या एकरूपता हो, एक बड़ी जबरदस्त चीज है, जीवन से ओतप्रोत राज्य है परन्तु दुर्भाग्य से जब राष्ट्र-राज्यों के मिट जाने का ही खतरा पैदा हो गया हो या ऐसी परिस्थिति आ गई हो कि उनका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाये तो हमें उन राष्ट्र-राज्यों की पेचीदी विरासत से निबटना पड़ता है और वह विरासत है कि छोटे-छोटे प्रदेश जिनकी आबादी कहीं कुछ लाख और कहीं कुछ हजार ही है, अपने अलग राजनैतिक अस्तित्व के लिए हो-हल्ला मचाते हैं। संसार में इससे मुसीबत पैदा हो गई है। आज समूचा

[माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा]

पूर्वी यूरोप युद्ध का संक्रामक रोग पैदा करने वाला स्थान बन गया है क्योंकि उस हिस्से में इतनी छोटी-छोटी जातियां इस कदर सम्मिलित रूप से बस गई हैं कि उनको छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त करना बड़ा मुश्किल है और फिर भी वे अपने पृथक् राजनैतिक अस्तित्व के लिए शोरगुल मचा रही हैं।

यह प्रस्ताव इस भावना को भी व्यक्त करता है कि भारत को संसार के राष्ट्रों में समुचित स्थान मिलना चाहिए। प्रत्येक भारतीय की यह उत्कट पर उचित अभिलाषा है कि एक दिन भारत समस्त एशिया का नेतृत्व करे। हम भारत में एक विकेन्द्रित गणतंत्र की सफलतापूर्वक स्थापना करके (जिसमें भिन्न-भिन्न भाषा और धर्म के गुट आपस में सम्मिलित होकर इस विशाल प्रजातंत्र में रह सकें) इसका नेतृत्व करने का काम प्रारंभ कर सकते हैं। आशा की जाती है कि शीघ्र ही पाश्चात्य साम्राज्यवाद की लहर एशिया से उठ जायेगी और इसके खत्म होते ही एशियावासियों को अपने-अपने राज्य-निर्माण की समस्या हल करनी होगी। राष्ट्रीयता या राष्ट्र-राज्य का प्रश्न उन प्रदेशों में भी अवश्य ही जोर शोर से उठेगा। फिलस्तीन में, अरब में और एशिया के दक्षिण-पूर्वी प्रदेश के द्वीपों में यह समस्या आज पेश है। यदि हमको इन्हें ठीक-ठीक नेतृत्व देना है जिससे ये एशियायी प्रदेश बाल्कन राष्ट्रों की तरह पश्चिमी साम्राज्यवाद की रणभूमि न बन सकें तो यह आवश्यक है कि हम भारत में एक ऐसे राज्य की स्थापना कर एक आदर्श पेश करें जो समस्त भारत का हो और जिसमें सांस्कृतिक अल्प-संख्यकों की हर प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था हो। इस देश के व्यक्ति और वर्ग के बुनियादी अधिकारों की सुरक्षामूलक व्यवस्था करके यह प्रस्ताव इसी दिशा में प्रयास कर रहा है।

सभापति महोदय, प्रस्ताव की इन विशेषताओं के कारण ही मैंने कहा है कि यह प्रस्ताव पवित्र है और उन घोषणाओं के समकक्ष है जिनका ऐलान अतीत में जातियों ने दासता का बंधन तोड़कर ऐसे मौकों पर किया था। यह न केवल पवित्र ही है वरन् दु:साध्य भी है क्योंकि इसके मार्ग में बड़ी कठिनाइयां हैं, जिन पर अभी डॉ. जयकर ने प्रकाश डाला है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के रुख के कारण भी इसमें कठिनाइयां हैं मैंने अभी आपको बताया है कि बतौर शासक के मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ऐसा नहीं बोध कर पाता कि अंग्रेजों ने भारतीयों

को शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरित करने का निश्चय कर लिया है। अभी उस दिन आपने चर्चिल का भाषण पढ़ा है। उस महान् साम्राज्यवादी की ओर से हमें एक भी उत्साहवर्धक शब्द नहीं मिला है। भारतीय इतिहास के ऐसे समय में भी जब देश का विधान बनाने के लिए इतने लोग समवेत हुए हैं तो बजाय इसके कि आशा और उत्साह की बात कहें वह अपनी पुरानी चाल चल रहे हैं। भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर कीचड़ उछाला है, पं. जवाहरलाल पर छींटा मारा है। मध्यकालीन सरकार में पं. जवाहरलाल नेहरू के आ जाने के बाद से मिस्टर चर्चिल को बिहार में निर्दोष मनुष्यों की नृशंस हत्या ही दिखाई दे रही है। सात समुद्र पार बसने वाले मिस्टर चर्चिल को मैं कहूंगा कि जनाब, आपको किसी स्वार्थी ने यह झूठी खबर दी है और आप जानबूझ कर इस झूठ का प्रचार कर रहे हैं बिहार सरकार ने इस उपद्रव को दबाने के लिए बल-प्रयोग करने में एक क्षण भी आनाकानी नहीं की और प्रांत के लाखों मुसलमानों की रक्षा के लिए उसने तुरन्त अपनी सारी शक्ति लगा दी। बिहार सरकार को इस बात का अभिमान है। जब तक सन् 1935 के एक्ट के अनुसार उसका काम चल रहा है। वह भारत सरकार का आदेश लेने के लिए तैयार नहीं हैं पं. जवाहरलाल नेहरू हमारे नेता हैं और इस नाते वह बिहार पधारे थे। उनसे हम सबों को प्रेरणा प्राप्त होती है, उत्साह मिलता है। मैं मिस्टर चर्चिल को बता दूं कि चन्द दिनों के तूफानी दौरे में उन्होंने बिहार की जनता को अपना इरादा बता दिया। मैंने इस देश के सर्वोच्च अधिकारी को यह बात कही थी कि वह खुद भी बिहार में इतने अल्प समय में शांति नहीं स्थापित कर पाते जितने में कि हम लोगों ने की। वहां शीघ्र शांति स्थापित होने का कारण न हो बिहार-सरकार की गोलियां हैं और न भारत सरकार के सैनिक ही हैं जो बिहार सरकार को मदद के लिए भेजे गये थे। शीघ्र शांति स्थापित करने का एकमात्र श्रेय है पं. नेहरू के व्यक्तित्व को, बाबू राजेन्द्र प्रसाद सरीखे साधु पुरुष की मौजूदगी को और महात्माजी की आमरण अनशन की धमकी को। मिस्टर चर्चिल ने इस झूठ का प्रचार कर बड़ी शैतानी का काम किया है। मैंने आपका बहुत समय लिया हैं पर मैं आपसे यह जरूर कहूंगा कि प्रस्ताव पास करने के पहले आप उन कठिनाइयों को भी सोच लें जो आगे पेश हो सकती हैं। एक कानूनदां की हैसियत से मैंने ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा नहीं पढ़ी है। मैं जीवन भर सिपाही रहा हूं और सिपाही की दृष्टि से मैं इसे देखता हूं। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों

[माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा]

के वक्तव्य से हमें कुछ भी मदद नहीं मिलती। डॉ. जयकर द्वारा बताई कठिनाइयों की वजह से तो नहीं पर उन लोगों की पैदा की हुई मुश्किलों की वजह से मुमकिन है कि इस विधान-परिषद् को भी एक दिन वही रास्ता अख्तियार करना पड़े जिसे सन् 1799 में फ्रांसीसी विधान परिषद् को, तत्कालीन राजा और राजनीतिज्ञों के रुख के कारण अपनाना पड़ा था। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं इस परिषद् के सदस्यों से कहूंगा कि इस प्रस्ताव के हक में अपना वोट देने का फैसला करें इसके पहले उन मुश्किलों पर खूब गौर कर लें जिनका कि उन्हें अपने इरादे को पूरा करने में सामना करना पड़ेगा। अगर हम यह प्रस्ताव पास करते हैं तो हमें इस बात का पक्का संकल्प कर लेना होगा कि हम भारत के मौजूदा राजनैतिक ढांचे को, जो सन् 1935 के एक्ट पर मायावी वैधानिक जाल खड़ा है, चकनाचूर कर देंगे और उस तरह का प्रजातंत्र कायम करेंगे जिसकी कल्पना इस प्रस्ताव में आ गई है, चाहे हमारे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों न आयें।

***सभापतिः** पांच बज चुके हैं। मैं जानना चहता हूं कि क्या सदस्य साढ़े पांच तक बैठना पसन्द करेंगे?

***बहुत से सदस्यः** हां, साढ़े पांच बजे तक।

***सभापतिः** इस प्रकार पर सभा एकमत नहीं मालूम पड़ती।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** सबकी राय है कि पांच बजे तक बैठा जाये।

***सभापतिः** जो लोग साढ़े पांच बजे तक बैठने के पक्ष में हैं कृपया हाथ उठावें। जो साढ़े पांच बजे तक बैठने के खिलाफ हैं अब हाथ उठावें।

पांच वालों का बहुमत है। अब सभा कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके बाद सभा मंगलवार 17 दिसम्बर सन् 1946 ई.
प्रातः 11 बजे के लिए स्थगित हुई।